कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024 **दिनांक 02/10/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याः वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 01.10.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना भांवरकोल पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 159/24 धारा 376(3) भादवि व ¾(2) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत में थाना स्थानीय पर दिनांक 30.09.2024 को पंजीकृत मु0अ0सं0 159/24 धारा 376(3) भादवि व ¾(2) पाक्सो एक्ट में त्वरित कार्यवाही करते हुए अन्दर 12 घन्टे मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ सोनू पटेल पुत्र रामाशीष पटेल निवासी ग्राम चकधर्मसेनपुर उर्फ मरैला थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर को उसके घर से समय 8.15 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

जयप्रकाश उर्फ सोनू पटेल पुत्र रामाशीष पटेल निवासी ग्राम चकधर्मसेनपुर उर्फ मरैला थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 159/ धारा 376(3) भादवि व ¾(2) पाक्सो एक्ट थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर

02. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 01.10.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना शादियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 694/17 धारा 342/354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त शकील अंसारी पुत्र मुस्तफा अंसारी निवासी ग्राम धरी खुर्द थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त शकील अंसारी उपरोक्त को धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 10000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास,

धारा 8 पाक्सो एक्ट में 04 वर्ष का कारावास व 10000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर